अति–आवश्यक
आज ही जारी हो।

राजसथान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांकः एफ 1(26)ग्रावि/नरेगा/Time Task/2011–12 जयपुर, दिनांकः 05.2013

• 3 MAY 2

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के समय में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची–1 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार 9 घण्टे की कार्यावधि मय विश्रामकाल के निर्धारित है। इस सम्बन्ध में यह अधिकृत किया जाता है कि गर्मी के मौसम एवं स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए योजनान्तर्गत कार्यों के समय का निर्धारण जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा द्वारा अपने स्तर पर निर्धारित कर लिया जावे। कार्य समय इस प्रकार निर्धारित किया जावे कि कार्यावधि 9 घण्टे मय 1 घण्टे के विश्रामकाल के हो। विश्रामकाल का प्रावधान नहीं रखने की स्थिति में 8 घण्टे की कार्यावधि निर्धारित की जा सकती है। जिला स्तर पर इस सम्बन्ध में निर्देश आपके द्वारा जारी किये जावे एवं इसमें इस बात का भी प्रावधान किया जावे कि यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टॉस्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टॉस्क प्रपत्र में करवाने के उपरान्त एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरान्त कार्यस्थल छोड़ सकता है।

कृपया उपरोक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही करने एवं की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने का श्रम करे।

भवदीय

(सी.एस.राजन)
अति. मुख्य सचिव, ग्रावि परावि

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस।
5. सम्भागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
6. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम एवं द्वितीय), महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. समस्त राजस्थान।
7. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा जयपुर।
8. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जि.प. समस्त राजस्थान।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
10. समन्वयक, आईईसी, नरेगा मुख्यालय।
11. एमआईएस मैनेजर, श्री रिंकु, कार्यालय हाजा को ईमेल करने हेतु।

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस